

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 1973 अधिनियम (संशोधित 1998) के धारा 10 एवं 13 अंतर्गत संशोधन हेतु प्रारूप-चार

प्ररूप - चार

(नियम 9 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973

की धारा 10 तथा 13 के अधीन आवेदन

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा पता
2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख
3. वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या
4. सोसायटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम के किस विनियम के अधीन संशोधन प्रस्तावित है
5. संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी की किस तारीख के सम्मिलन में पारित हुआ, सम्मिलन की सूचना कितने सदस्यों को दी गई तथा गणपूर्ति क्या रही
6. साधारण सम्मिलन की तारीख क्या है तथा सम्मिलन किस नियम के अधीन बुलाया गया सूचना कितने दिनों की दी गई, कितने सदस्य उपस्थित रहे तथा सम्मिलन की गणपूर्ति क्या थी।
7. संशोधन प्रस्ताव तथा संशोधन नियमों तथा विनियमों की तीन प्रतियां प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यकारिणी के तीन सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पूर्ण ब्यौरों सहित प्रस्तुत करें, ऐसे नियमों, जिनके खण्ड में संशोधन प्रस्तावित है, को दर्शाते हुए विद्यमान उपबन्धों तथा कारणों सहित संशोधन का तुलनात्मक चार्ट भी कृपया प्रस्तुत करें।
8. ज्ञापन तथा नियमों और विनियम में संशोधन हेतु विहित फीस रुपये रसीद क्रमांक दिनांक चालान क्र. दिनांक द्वारा जमा कर दिये गये हैं, चालान की मूल प्रति संलग्न है।
9. मैं पुत्र आयु..... निवासी पदनाम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय होगा।

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)